Patrika

38 percent vacancies of Gujarat High Court judges

अहमदाबाद।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर ने देशभर के उच्च न्यायालयों में जजों के रिक्त पदों पर खासी चिंता जताई है। गुजरात उच्च न्यायालय में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहां जजों के कुल स्वीकृत पदों की जगह करीब 38.46 फीसदी पद रिक्त हैं। यदि देशभर के उच्च न्यायालयों पर नजर दौड़ाई जाए तो इनमें जजों की करीब 45 फीसदी संख्या रिक्त है।

गुजरात उच्च न्यायालय में जजों के कुल स्वीकृत पद 52 हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 32 जज कार्यरत हैं। अगले महीने यह संख्या 31 रह जाएगी, जब न्यायाधीश जी. बी. शाह 13 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि एक अच्छी स्थिति यह है कि अगले वर्ष कोई भी जज सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। केन्द्रीय न्याय विभाग के पहली सितम्बर 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात उच्च न्यायालय में 26 स्थायी जज व 6 सहायक जज हैं।

जबकि स्वीकृत पदों के तहत 39 स्थायी जजों की संख्या 39 तथा सहायक जजों की संख्या 13 है। इस तरह उच्च न्यायालय में 20 जजों की कमी है। इस संबंध में गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचएए) के अध्यक्ष असीम पंड्या बताते हैं कि उच्च न्यायालय के अब तक के इतिहास में जजों की संख्या कभी भी स्वीकृत पदों तक नहीं पहुंची। करीब तीन-चार वर्ष पूर्व स्वीकृत जजों की संख्या 42 थी, लेकिन तब भी यह संख्या वहां तक नहीं पहुंच सकी। पंड्या के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में करीब दो वर्षों तक का समय लग जाता है। फिलहाल केन्द्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर टकराव का दौर जारी है। ऐसे में जजों की नियुक्ति में देरी भी हो सकती है। उधर, राज्य में जिला व अधीनस्थ अदालतों में भी जजों के करीब 40 फीसदी पद रिक्त हैं

जजों के सर्वाधिक रिक्त पद वाले हाई कोर्ट

हाई कोर्ट रिक्त पद

छत्तीसगढ़ 63.64

हैदराबाद 60.66

इलाहाबाद 51.88

गुवाहाटी 50

मद्रास 49.33